सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/ 30990 दिनांक 13 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड़ प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

जिले में नोवल कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण एवं बचाव के सुक्ष्म स्तर पर प्रभावी पर्यवेक्षण / निगरानी हेतु **कोरोना केप्टन, कोरोना फाईटर्स** की तर्ज पर जिले मे स्थापित प्रत्येक निर्वाचन बूथ पर **ब्लॉक लेवल अधिकारी (बीएलओ)** को **"कोरोना ईगल"** नियुक्त किया जाता हैं।

जिले में स्थापित प्रत्येक निर्वाचन बूथ **का ब्लॉक लेवल अधिकारी,** कोरोना वायरस संक्रमण के संघर्ष में **"कोरोना ईगल"** के रूप में अपनी महत्ती भूमिका / उत्तरदायित्व का निवर्हन करेगा। समस्त निर्वाचन पंजीयक अधिकारी (एसडीएम) इस संबंध में तत्काल कार्यवाही कर बूथ वाईज ब्लॉक लेवल अधिकारी के नामजद एवं मोबाईल नम्बर सहित आदेश जारी कर समुचित पालना अपने स्तर पर सुनिश्चित करवाते हुए, अनुपालना से 02 दिवस में अवगत करायेगे।

कोरोना ईगल के कार्य निम्नानुसार होगें –

1.	मेडिकल इमरजेन्सी के दृष्टिगत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं रोगी के मध्य उपचार हेतु समन्वय करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
2.	बूथ क्षेत्र में बूथ से बाहर से आने वाले व्यक्तियो की जानकारी से कोरोना फाईटर एवं कोरोना केप्टन को सूचित करना तथा निर्देशानुसार समुचित कार्यवाही करना।
3.	बूथ क्षेत्र में आपात स्थिति से कोरोना फाईटर एवं कोरोना केप्टन को अवगत कराना।
4.	कोरोना संक्रमण के लक्षण वाले व्यक्ति की सूचना / जानकारी आने, संबंधित द्वारा जानकारी छिपाने / संबंधित द्वारा जानकारी छिपाने का प्रयास करने से संबंधित सूचनाएं कोरोना केप्टन को तत्काल उपलब्ध कराना।

कोरोना ईगल अपने बूथ क्षेत्र की सतत् निगरानी रखते हुए कोरोना फाईटर से समन्वय करते हुए कोरोना केप्टन को समस्त कार्यवाही से अवगत करायेगे।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. उप जिला निर्वाचन अधिकारी, भीलवाड़ा
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
11. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
12. समस्त उपखण्ड़ मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
14. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
15. समस्त निर्वाचक पंजीयन अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
16. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
17. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
18. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
19. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
20. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
21. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner